

दिनांक-21.01.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दक्षिण बिहार के सभी जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:-

- (1) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
- (2) श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, विशेष कार्य पदाधिकारी

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। दक्षिण बिहार के सभी जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। जो DPRO या ACEO बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित है, उनसे स्पष्टीकरण किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:-प्रशाखा-01, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना)

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:-

I. पंचायत सरकार भवन के हस्तांतरण तथा क्रियाशीलता की अद्यतन स्थिति:-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक-01.10.2025 को ग्राम पंचायत द्वारा 54, LAEO के द्वारा 146 एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा 133 निर्मित पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया था, परन्तु अरवल, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया जी, कैमुर, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना एवं रोहतास जिलों द्वारा उसका हस्तांतरण कर क्रियाशील करने की प्रगति असंतोषजनक है। शेष DPRO को निदेशित किया गया कि निर्माण एजेंसी से समन्वय कर विधिवत ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करना सुनिश्चित किया जाए।

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कराये जाने वाले 1069 पंचायतों सरकार भवनों के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दक्षिण बिहार के कुल 355 स्वीकृत पंचायत सरकार भवन के विरुद्ध मात्र 278 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र तकनीकी सहायक से प्राक्कलन तैयार कर जनवरी 2026 के अंत तक तकनीकी स्वीकृती हेतु LAEO के कार्यपालक अभियंता को भेजना सुनिश्चित करेंगे। यह भी निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी के स्तर पर होने वाले जिला समन्वय समिति की बैठक में इसे एजेंडा के रूप में शामिल करें।

(अनुपालन:-दक्षिण बिहार के सभी जिलों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

कृ०पृ०उ०.....

II. 15वीं वित्त आयोग/षष्ठम राज्य वित्त आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं के निम्न भुगतान की अद्यतन स्थिति:—

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का व्यय प्रतिशत निम्नवत है:—

| 15वीं वित्त आयोग | | |
|------------------|---------------------------------|--------------|
| क्र०सं० | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं | व्यय प्रतिशत |
| 01 | जिला परिषद् | 23.62% |
| 02 | पंचायत समिति | 47.90% |
| 03 | ग्राम पंचायत | 52.81% |

नालन्दा, औरंगाबाद, बक्सर, जहानाबाद, नवादा, गया जी एवं मुंगेर जिलों में जिला परिषद् द्वारा व्यय की गयी राशि की स्थिति दयनीय है।

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को निदेश दिया गया कि व्यय की गयी राशि की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(ख) षष्ठम राज्य वित्त आयोग:—

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का व्यय प्रतिशत निम्नवत है:—

| षष्ठम राज्य वित्त आयोग | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------|
| क्र०सं० | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं | व्यय प्रतिशत |
| 01 | जिला परिषद् | 29.29% |
| 02 | पंचायत समिति | 58.96% |
| 03 | ग्राम पंचायत | 64.11% |

नवादा, मुंगेर, पटना, नालन्दा, जहानाबाद एवं गया जी जिलों में जिला परिषद् द्वारा व्यय की गयी राशि की स्थिति दयनीय है। सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को निदेश दिया गया कि व्यय की गयी राशि की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:— दक्षिण बिहार के सभी जिलों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

(क) दक्षिण बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की समीक्षा की गयी एवं सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया अपने स्तर से अपने जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समायोजन कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

विदित हो कि वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा पंचायती राज विभाग को माहवार लगभग 12 हजार करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित करने का लक्ष्य दिया गया है। जिसके अनुरूप विभाग के द्वारा सभी जिलों का लंबित

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की राशि का साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, परंतु गया जी, पटना, नालंदा, रोहतास, नवादा, बक्सर एवं कैमुर जिलो द्वारा साप्ताहिक लक्ष्य के विरुद्ध जमा की गयी उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि काफी कम है। निदेश दिया गया कि सभी DPRO/ACEO अपने स्तर से विस्तृत समीक्षा कर तथा विशेष कैंम्प आयोजित कर दिनांक-31.01.2026 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समायोजन करवायें।

(ख) लंबित ए0सी0/डी0सी0 विपत्र की जिलावार अद्यतन स्थिति :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि रोहतास, पटना, बक्सर, मुंगेर, नवादा एवं भागलपुर जिलों में लंबित डी0सी0 विपत्र की राशि अधिक है। निदेश दिया गया कि अपने-अपने जिलों का लंबित डी0सी0 विपत्रों की राशि का समायोजन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें तथा महालेखाकार कार्यालय में जमा की गयी राशि की Receiving Copy विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:-दक्षिण बिहार के सभी जिलों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. नियुक्ति संबंधी Roaster Clearance की अद्यतन स्थिति:- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दक्षिण बिहार के पटना, जमुई एवं लखीसराय जिलों द्वारा पंचायत सचिव से संबंधित रोस्टर विभाग को भेजा गया है। शेष जिलो को निदेशित किया गया कि इस सप्ताह तक पंचायत सचिव से संबंधित रोस्टर तैयार कर प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:-दक्षिण बिहार के सभी जिलों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

V. CPGRAMS की अद्यतन स्थिति:- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार के अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया जी, खगड़िया, मधेपुरा, मुझफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी में 01-01 एवं बेगूसराय एवं सारण में 02-02, सीवान में 03 तथा पूर्वी चंपारण, रोहतास एवं वैशाली जिले में 04-04 मामलें लंबित है। उक्त जिलो के DPRO को निदेश दिया गया कि लंबित मामलों के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालन:-दक्षिण बिहार के सभी जिलों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. RTPS की अद्यतन स्थिति:- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दक्षिण बिहार के अरवल, औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया जी, मुंगेर, नालन्दा, नवादा, पटना एवं रोहतास जिले के ग्राम पंचायतों में शून्य पंजीकृत आवेदनों की संख्या अधिक है। उक्त जिलो के DPRO को निदेश दिया गया कि आवेदनों की प्राप्ति में वृद्धि हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालन:-दक्षिण बिहार के सभी जिलों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Manoj Kumar
30/1/26
(मनोज कुमार)
सचिव

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक:-9प०/विविध-01-247/2023/2267/पं०रा० पटना, दिनांक 10/2/2026
प्रतिलिपि:-दक्षिण बिहार के सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Nirmal Kumar Singh
31.1.26
(निर्मय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांक:-9प०/विविध-01-247/2023/2267/पं०रा० पटना, दिनांक 10/2/2026
प्रतिलिपि:-सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव के आशुलिपिक/निदेशक के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ श्री आशुतोष कुमार, प्रोजेक्ट लीड, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Nirmal Kumar Singh
31.1.26
(निर्मय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांक:-9प०/विविध-01-247/2023/2267/पं०रा० पटना, दिनांक 10/2/2026
प्रतिलिपि:-आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को ई-मेल करते हुए विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

Nirmal Kumar Singh
31.1.26
(निर्मय कुमार सिंह)
अवर सचिव